न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– उत्पाद अधिहरण वाद सं0–84/2017–18 राज्य वनाम कपिलदेव नारायण सिंह

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
12.09.2017	**आदेश** यह अधिहरण वाद पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2529/हि0शा0, दिनांक 09.08.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2529/हि0शा0, दिनांक 09.08.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30(ए) बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत खगड़िया थाना कांड सं0–501/2017 दिनांक 22.07.2017 में वादी पु0अ0नि0 श्री जगदीश यादव द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर टी0भी0एस0 मोटर साईकिल गाड़ी नं0 BR34B-6084 पर एक उजला रंग के बोरे में रखा रॉयल स्टेग कम्पनी का 750 एम0एल0 का 57 (सनतावन) बोतल बरामद किया गया । जप्त वाहन का उपयोग राज्य में शराब लाकर खरीद–बिक्री किया जा रहा था। उक्त कांड में जप्त वाहन को अधिहरण करने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी, तलासी सह जप्ती सूची, पुलिस निरीक्षक, सदर खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न है। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधितों को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। विपक्षी कपिलदेव नारायण सिंह पिता–गणेश प्रसाद सिंह, ग्राम–दीना चकला थाना–गोगरी जिला–खगड़िया के विरूद्ध ज्ञापांक 260/डी0बी0/विधि, दिनांक 24.8.2017 से नोटिस निर्गत किया गया तथा डी0बी0 नं0 261/विधि, दिनांक 24.08.2017 से तामिला हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी को अपने अधिनस्थ थाना के माध्यम से तामिला कराने हेतु भेजा गया । अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी के ज्ञापांक 2086 दिनांक 08.09.2017 से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । डी0बी0नं0–254/विधि, दिनांक 18.08.17 से जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से गाड़ी निबंधन पंजी से इसका सत्यापन कर गाड़ी मालिक का नाम एवं पता की मांग की गयी। जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 1163/परि, दिनांक 21.08.2017 से वाहन स्वामी का नाम एवं पता	

Received for Subd. 21/09/17

प्रतिवेदित किया गया। जिसमें अंकित किया गया कि वाहन संख्या BR34B-6084 मोटर साईकिल कपिलदेव नारायण सिंह पिता–गणेश प्रसाद सिंह, ग्राम–दीना चकला, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया के नाम से पंजीवद्ध है।

विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु वे जानबुझकर प्रक्रिया को बाधित करने के दृष्टिकोण से सुनवाई के प्रक्रम में उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि वे न्यायालय की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर न्यायालय की प्रक्रिया को लम्बा कर अंतिम निर्णय से बचना चाहते हैं। इस स्थिति में विपक्षी को सुनवाई का और अधिक अवसर दिया जाना न्यायहित में नहीं है।

पुलिस अधीक्षक खगड़िया खगड़िया के पत्रांक 2529/हि0शा0, दिनांक 09.08.2017 के साथ संलग्न अधिहरण प्रस्ताव, पु0अ0नि0 खगड़िया थाना के प्रतिवेदन एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत टी0भी0एस0 मोटर साईकिल जिसका वाहन सं0 BR34-B 6084 चेचिस नं0 MD625NF15C3F42782 शराब के कारोबार के लिए इश्तेमाल किया जा रहा था। जो बर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गयी जप्ती एवं प्रश्नगत मोटर साईकिल को अधिनियम की धारा 58(2)के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि मोटर साईकिल का इश्तेमाल शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो संदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत वाहन BR34B-6084 चेचिस नं0 MD625NF15C3F42782 मोटर साईकिल बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है कि :–

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन BR34B–6084 चेचिस नं0 MD625NF15C3F42782 मोटर साईकिल जो जप्त कर खगड़िया थाना में रखा हुआ है, को बिहार मघ निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किये जाने वाला वाहन किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाए।
2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है

कि थाना में जप्त मोटर साईकिल BR34B–6084 चेचिस नं0 MD625NF15C3F42782 का मोटरयान निरीक्षक, खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।

3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, 19/9/17
खगड़िया।

समाहर्त्ता, 19/9/17
खगड़िया।

ज्ञापांक 314 / विधि दिनांक 19.9.2017

प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी खगड़िया / अधीक्षक उत्पाद खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

19/9/2017
प्रभारी पदाधिकारी
विधि, खगड़िया
19/9/17

NIC